



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी  
प्रेस-नोट

दिनांक:-30.10.2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त विद्यापति त्रिपाठी को पॉक्सो के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम 03 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना-भेलूपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 354(क) भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त विद्यापति त्रिपाठी पुत्र स्व0 शिवपूजन त्रिपाठी निवासी- बी 20/41 भेलूपुर थाना-भेलूपुर, वाराणसी को थाना-भेलूपुर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 30.10.2024 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायालय पॉक्सो मेन जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त विद्यापति त्रिपाठी उपरोक्त को धारा-8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी  
कमिश्नरेट-वाराणसी